



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: आनंदपुर डूंगरिया			पटवारी हल्का: आनंदपुर डूंगरिया			तहसील: देवास			जिला: देवास		वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1424986795	835/1 (S)		14.2900 हेक्टेयर								कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0021/अ-19(3)/2017-18 एवं आदेश दिनांक 23/03/2018 के अनुसार दिनांक 08/08/2023 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। मान. तह. महो. के न्या. प्र. क्र. 7-a-6-a/2011-12 आ. दि. 30-11-11 के आदेश पालन में शास. चरनोई उर्जा विकास नि. भोपाल की प्रविष्टि दर्ज की गई माननीय कलेक्टर महोदय के प्रकरण क्रमांक 0021/अ-19(3)2017-18 दिनांक 23/03/2018 के पालन में पटपडी बांध के डूब में आ रही वनभूमि के बदले विकल्पित वृक्षारोपण हेतु 14.29 हेक्टेयर भूमि वनविभाग को हस्तांतरित की गई
80UTS7D952K6H0			रु.0.00								

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से, लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: आनंदपुर डूंगरिया			पटवारी हल्का: आनंदपुर डूंगरिया			तहसील: देवास			जिला: देवास		वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. गट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंघाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना /वृक्षा 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1420584344	80 (S)		11.7600 हेक्टेयर								कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0021/अ-19(3)/2017-18 एवं आदेश दिनांक 23/03/2018 के अनुसार दिनांक 08/08/2023 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। मान. तह.महो. के न्या. प्र.क्र.7-अ-6-अ/2011-12 आ.दि. 30-11-11 के आदेश पालन में उर्जा विकास निगम भोपाल की प्रविष्टि दर्ज की गई माननीय कलेक्टर महोदय के प्रकरण क्रमांक 0021/अ-19(3)/2017-18 दिनांक 23/03/2018 के पालन में पटपट्टी बांध के डूब में आ रही वन भूमि के बदले वैकल्पित वृक्षारोपण हेतु 11.7600 हेक्टेयर भूमि वनविभाग को हस्तांतरित की गयी।
80USAID9416GH0			रु.0.00								

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से, लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:जामगोद			पटवारी हल्का:जामगोद			तहसील:देवास			जिला:देवास		वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलिंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. वृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल के अपीन क्षेत्रफल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियों 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1079524642	66/1 (S)		27.5600 हेक्टेयर वन विभाग 27.5600 अन्य शासकीय विभाग 27.5600 रु.0.00								प्रकरण क्र. 0540/अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 14/12/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.66/मिन-1 से 66/1 में परिवर्तित। प्रकरण क्र. 0540/अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 14/12/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.66/मिन-1 से 66/1 में परिवर्तित। म प्र उर्जा वि न्यायालय कलेक्टर महोदय देवास के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 0021/अ-19-3/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 16-08-2018 एवं न्या तह देवास के न्या पत्र क्र/1534/री-1/2018 देवास दिनांक 07-09-2018 के पालन में सर्वे नंबर 66/मीन-1 रकबा 27.560 हेक्टेयर भूमि पटपडी बांध की डूब में आ रही वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग को हस्तांतरित की गयी

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: खटाम्बा			पटवारी हल्का: खटाम्बा			तहसील: देवास			जिला: देवास		वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलिंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंघाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना /वृक्षा 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1200273693	197/2 (S)		1. 9200 हेक्टेयर								कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0003/अ-19(3)/2018-19 एवं आदेश दिनांक04/01/2019के अनुसार दिनांक 08/08/2023 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज।
80UP3ED941UPHO			रु.0.00								न्यायालय कलेक्टर जिला देवास के न्यायालयीन राजस्व प्रकरण क्रमांक 0003/अ-19(3)/2018-19 में पारित आदेश दिनांक 04-01-2019 अनुसार भूमि सर्वे नंबर 197/2 रकबा 19.920 हेक्टेयर में से रकबा 12.390 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को पटपडी बांध में डूब में आ रही वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग को हस्तांतरित की गयी

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से, लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

राजस्व आदेश-पत्र अनुवृत्ति-पत्र
मानला क्रमांक 0021/अ- 9(3)/2017-18

(1)

(2)

(3)

23-3-2018

प्रकरण तहसीलदार देवास की ओर से प्रतिवेदन सहित अनुविभागीय अधिकारी (रा) देवास के माध्यम से प्राप्त।

प्रकरण का परीक्षण किया गया। प्रकरण में मुख्य रूप से यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि, कार्यपालन यन्त्री, जल संसाधन संभाग देवास, के द्वारा पत्र क्रमांक 273/कार्य/2018/824 दिनांक 27.02.2018 के द्वारा पटपडी बांध के डूब में आ रही वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम जामगोद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 61/मीन-1 रकबा 27.560 है. ग्राम आनंदपुर इंगरिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 836/1 रकबा 4.290 एवं सर्वे क्रमांक 806 रकबा 11.760 है., ग्राम खटाम्बा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 197/1 रकबा 12.520 सर्वे क्रमांक 197/2 रकबा 19.920 कुल सर्वे क्रमांक 5 कुल रकबा 86.050 हे. भूमि में से 72.00 हे. भूमि वन विभाग को हस्तांतरण किये जाने के लिए चिन्हांकित करने की मांग पर से संबंधित राजस्व निरीक्षक/मौजा पटवारी से जाँच करवाई गई। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम जामगोद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 66/मीन-1 रकबा 27.560 हे. मद अन्य शासकीय विभाग खसरा के कॉलम नं. 12 में उर्जा विकास निगम भोपाल दर्ज है, ग्राम खटाम्बा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 197/1 रकबा 12.520 हे. मद चरनोई, सर्वे नं. 197/2 रकबा 19.920 हे. में से पेटि रकबा 5.870 मद खसरा के कॉलम नं. 12 में दर्ज उर्जा विकास निगम भोपाल तथा ग्राम आनंदपुर इंगरिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 806 रकबा 11.760 हे. मद शासकीय काबिल कास्ट व सर्वे क्रमांक 836/1 रकबा 14.290 हे. मद शासकीय चरनोई राजस्व भूमि पटपडी बांध की डूब में आ रही वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग देवास को हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा की गई है ।

तहसीलदार देवास तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवास के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नानुसार राजस्व भूमि पटपडी बांध की डूब में आ रही वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए वनविभाग को हस्तांतरित किये जाने हेतु, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(3) के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

अनु. क.	ग्राम का नाम	भूमि सर्वे क्र.	रकबा	मद	विवरण
1	जामगोद	66/भग-1	27.560	अन्य शाराकीय विभाग	उर्जा विभाग को आबंटन, वर्तमान में उर्जा विकास निगम भोपाल द्वारा पवन चक्की हटा ली गयी।
2	खटागंबा	97/1 97/2	12.520 19.920 में से 5.870 हे.	चरनोई उर्जा विकास निगम	पहाड़। उर्जा विभाग को आबंटन, वर्तमान में उर्जा विकास निगम भोपाल द्वारा पवन चक्की हटा ली गयी।
3	आनंदपुर डुगरिया	806	11.760	शा. का. का.	उर्जा विभाग को आबंटन, वर्तमान में उर्जा विकास निगम भोपाल द्वारा पवन चक्की हटा ली गयी।
		836/1	14.290	शा. चरनोई	उर्जा विभाग को आबंटन, वर्तमान में उर्जा विकास निगम भोपाल द्वारा पवन चक्की हटा ली गयी।
योग		5	72.000		

उक्त योजना के लिए इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 0001/अ-19(3)/ 2016-17 में ग्राम पलासी, सुतारीपुर, पांजरिया, हीरापुर, आगराबुर्जुंग तहसील उदयनगर के कुल 10 सर्वे क्रमांक की 72.00 हे. भूमि हस्तांतरण हेतु पारित आदेश दिनांक 29.11.2017 निरस्त करते हुए भूमि पूर्व अनुसार मद में प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

इस आदेश की प्रति वनमंडलाधिकारी, वन मण्डल (सामान्य) देवास, एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग देवास को भेजी जावे तथा प्रकरण तहसीलदार देवास को इन निर्देशों के साथ प्रेषित किया जाता है कि, वें नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के उपरान्त मूल प्रकरण इस न्यायालय को लौटावें।

प्रति,
तहसीलदार,
देवास


कलेक्टर,
जिला देवास (म. प्र.)
बिबा देवास (म. प्र.)

172-78

न्यायालय कलेक्टर जिला देवास म0प्र0

देवास, दिनांक 28.03.2018

पृ0क्रमांक/
प्रतिलिपि

सिडर/2018

1. - वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल (सामान्य) जिला देवास।
2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग देवास।


कलेक्टर,
जिला देवास (म. प्र.)